be possible for him to finish his speech today.

Shri S. K. Tapuriah (Pali): He may be called on the next day.

Mr. Speaker: He can continue on the next day.

Shri Piloo Mody: I would require about five more minutes only.

Mr. Speaker: Why only five minutes? He can take about 10 to 15 minutes more also.

Shri Surendranath Dwivedy: The rest of the portions of his speech may be taken as read.

17.30 hrs.

RE QUESTION OF PRIVILEGE

ALLEGATIONS AGAINST CERTAIN MINISTERS

Mr. Speaker: Shri Vajpayee to raise the issue concerning privilege.

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): On a point of order.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): On what?

Mr. Speaker: There is no motion befroe the House now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विशेषाधिकार का एक मामला उठाने के बारे में आप की अनुमति चाहता हूं । श्री एस० एम० बनर्जी ने 30 मई को इस सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए इसी सदन के दो सम्मानित सदस्यों जो मंत्री परिषद् के सदस्य भी हैं, उन पर यह आरोप लगाया था कि वे बिड़ला बंधुओं के वेतन भोगी हैं । ये आरोप श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लगाये गए आरोपों के सम्बन्ध में थे । लेकिन मंत्रियों के नाम पहली बार सदन में लिए गए और लेने वाले मेरे मित्र श्री एस० एम० बनर्जी थे । मंत्रियों के विरुद्ध

लगाये जाने वाले आरोपों की जांच किस तरह से की जाए इस के सम्बन्ध में आप ने 1951 के एक निर्णय का हवाला दिया था । मैं उस के दो अंश आप ने के सामने पढ़ना चाहता हूं । आप ने कहा था—मैं उद्धृत करता हूं :—

"The person making such an allegation should first make sure of his facts and base them on such authentic evidence, documentary or circumstantial as he may have. He should be careful in sifting and arranging facts because if the allegations are proved to be frivolous, worthless or based on personal jealousy or animosity, directly or indirectly, he will himself be liable to a charge of breach of privilege of the House".

आगे जा कर आपने कहा था—मैं उद्धृत करता हूं :—

"However, if in the course of preliminary investigation, it is found that the person making the allegations has supplied incorrect facts or tried to bring discredit to the name of the member wilfully or through carelessness, he shall be deemed to guilty of a breach of privilege of the House."

इस निर्णय में आप ने स्वयं स्वीकार किया है कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि आरोप असत्य हैं, निराधार है या असावधानी में लगाये गये हैं तो उस सदस्य को विशेषाधिकार भंग करने के आरोप में जवाब देना होगा और उस के खिलाफ कार्यवाई की जा सकेगी । श्री अर्जुन अरोड़ा के आरोपों की जो जांच प्रधान मंत्री महोदया ने की है और जिस जांच के परिणाम सदन में घोषित किए गए हैं यदि सदन यह स्वीकार करता है कि वे जांच के परिणाम ठीक हैं तो फिर सदन के सामने इस के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है कि वह श्री बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों को विशेषाधिकार समिति को सौंप दे ।

देश में एक सन्देह का, एक अविश्वास का वातावरण है । चरित्र हत्या की प्रवृत्ति बढ़

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

रही है । आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं । मैं चाहूंगा कि यह मौका आया है इस सदन के सामने कि जो सदस्य अपने आरोप प्रमाणित करने में विफल रहता है उसे सदन के सामने जवाब-देह होना चाहिये, उस का मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये । मैं आप की अनुमति चाहूंगा कि आप मुझे इस आशय का प्रस्ताव पेश करने दें कि श्री बनर्जी के आरोप और उन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने जो निर्णय घोषित किया है, दोनों को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए ।

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: There is no discussion on this.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा भी नोटिस था ।

Mr. Speaker: When permission is given.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I am the member concerned, I should be given some chance. I requested you.

श्री मधु लिमये : निर्णय आप पहले ही न दीजिये क्योंकि बाद में हमारे कहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ।

Mr. Speaker: This was a question which we discussed two or three days ago. The point is this. Mr. Banerjee did not make an allegation against anybody. The Prime Minister was making a statement, and questions were put to the Prime Minister. Mr. Banerjee, like any other member, was only seeking clarification on the statement made by the Prime Minister regarding Arjun Arora's allegations. Names are mentioned in the press, in this House, the other House, everywhere. She replied.

Then, after that, in the evening the concerned Ministers, whose names were mentioned, also made statements here on the floor of the House, rather replying to the alegations made not only by Arjun Arora outside but to Questions raised after the Prime Minister's statement and all that. Therefore, it is not as if Mr. Banerjee originally made any allegation against the Ministers. It is the allegation of Mr. Arjun Arora, about which the Prime Minister was replying, and Mr. Banerjee was asking a question for clarification.

श्री मधु लिमये : निर्णय बाद में दीजिये । पहले देंगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ।

Mr. Speaker: Let me complete it.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I do not think that is a correct statement of facts. So far as Arjun Arora's allegations are concerned, this House will not take any notice at all. The member concerned, Mr. Banerjee, particularly named two Ministers and also a Minister's son saying that they are involved in this matter, that they are in the pay roll of Birlas. That is why the Ministers themselves came forward with statements. So far as this is concerned, Mr. Banerjee's statement is a positive statement which we have to take note of. We have nothing to do with what Mr. Arjun Arora said in the other House.

श्री मधु लिमये : इस में एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है । एक ओर जब राज्य सभा में हमारे इस सदन के माननीय सदस्य डा० राम मनोहर लोहिया के खिलाफ आरोप लगाये गये तो हम लोगों ने मांग की कि हम विशेषाधिकार समिति के सामने जाने को तैयार हैं, हमारे सदस्य भागेंगे नहीं । लेकिन सत्तारूढ़ दल ने नहीं माना दूसरी ओर जब हम आरोप करते हैं और फिर कहते हैं कि हम भागेंगे नहीं, अगर ये गलत सिद्ध हो जाते हैं तो आप हमें सजा दीजिये, तो फिर इस बात को भी आप मानते नहीं हैं । विरोधी दल वालों की ओर से जब आरोप किये जाते हैं, या तो

वे साबित करने को तैयार हैं या सजा भुगतने के लिये तैयार होते हैं। जब कांग्रेस की ओर से हमारे ऊपर आरोप किये जाते हैं, तो भी हमारे लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं न्यायालय के सामने जाने के लिए, संसद् की या लोक सभा समिति के सामने जाने के लिए, लेकिन दोनों हालतों में कांग्रेस वाले तैयार नहीं होते हैं। इस सबकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? कांग्रेस पार्टी जब हमारे द्वारा आरोप लगाये जाते हैं तो भाग जाती है और जब कांग्रेस वालों की ओर से हम पर आरोप लगाये जाते हैं और हम कहते हैं कि इस का फैसला हो तो भी भाग जाते हैं। यह जो भाग जाने की प्रवृत्ति है या मामले को अधूरा छोड़ने की जो प्रवृत्ति है उस के खिलाफ यह मेरा छोटा सा प्रस्ताव है जिस को मैं पढ़ कर सुनाता हूं . . .

Mr. Speaker: Permission must be given to Mr. Vajpayee first.

श्री मधु लिमये : यहां पर कई आरोप लगाये गये है। जैसे माननीय सदस्य डा० राम मनोहर लोहिया ने प्रधान मंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाये हैं जिन का अभी तक खंडन नहीं हुआ है। जैसे हीरे का मामला . . .

Mr. Speaker: You are repeating.

श्री मधु लिमये : यह कार्रवाई में आया है, कोई नई बात नहीं है . . . .

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन) : यह झूठ है कई बार कहा जा चुका है।

श्री मधु लिमये : कार्रवाई के आधार पर मैं बोल रहा हूं। नई बात नहीं ला रहा हूं। मुझे बोलने का अधिकार है। डाक्टर साहब ने अपने बजट भाषण में यह कहा है। यह कार्रवाई में दर्ज है। उस में उन्होंने तीन आरोप लगाये थे? एक आरोप यह था कि बिड़ला जी . . . .

Mr. Speaker: Do not bring in all these things.

श्री मधु लिमये : . . .के द्वारा हीरे की माला मिली शादी के समय दूसरा आरोप था कि एक नैपाल के राजा की ओर से हीरे मिले तीसरी बात थी . . . .

Mr. Speaker: No, no.

श्री मधु लिमये : कारण बता रहा हूं क्यों लेना चाहिये।

Mr. Speaker: This is not relevant to the proposal now. This is Mr. Banerjee's proposal.

श्री मधु लिमये : मैं अभी उस पर आ रहा हूं।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : यह इरादतन झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। यह नेहरू फैमिली के प्रोफेशनल क्रिटिक हैं।

श्री मधु लिमये : इन्दिरा जी ने इनका कभी खंडन नहीं किया है।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : हजारों बार खंडन किया गया है। यह सरासर गलत बात कह रहे हैं।

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): I rise on a point of order; the motion is out of order.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय बाद में कहें। हम उन को सुनेंगे।

Mr. Speaker: It is extraneous matter that you are bringing in. You can say things against the Prime Minister later on, if you take the permission of the Chair; Ihave no objection. But to put all things together in Mr. Banerjee's motion is not correct.

श्री मधु लिमये : मैं ने कोई एक्सट्रेनियस बात नहीं कही है।

Mr. Speaker: Now also, I am requesting you to speak only about that point. You should not roam about the whole of India. You have a

[Mr. Speaker]

right to move any resolution you want separately but do not bring in some thing. If you want to bring in other things also, you have to take some other occasion, now now, in the name of this.

श्री मधु लिमये : मैं मिसाल दे रहा हूं। किसी दलील के समर्थन में उस की इलस्ट्रेशन तो दी जा सकती है न? इस प्रस्ताव को लेना क्यों आवश्यक है यह बताने के लिये मैं कह रहा हूं कि एक माननीय सदस्य के द्वारा प्रधान मंत्री पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक उन का खंडन नहीं होता है, उन की जांच नहीं होती है।

श्री शशि भूषण वाजपेयी : बराबर खंडन किया जा चुका है।

श्री मधु लिमये: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को अधूरा न छोड़ा जाए। अगर श्री गोविन्द मेनन इस का विरोध करेंगे तो तमाम दुनिया और हिन्दुस्तान की जनता इस नतीजे पर पहुंचेगी कि उन लोगों के द्वारा हम पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं और हम ने उन के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वे सौ प्रतिशत सही हैं।

श्री शशि भूषण वाजपेयी : यह सौ प्रतिशत गलत और झूठे हैं।

श्री मधु लिमये : इस लिए आप से मेरी प्रार्थना है कि आप इस मामले को अधूरा न छोड़िये। अगर श्री बनर्जी या दूसरे सदस्य गैर-जिम्मेदार हैं, तो उन को सजा देनी चाहिए। उन को लोक सभा से भी निकाला जा सकता है। 'लाज' की बात कहने से तो इन लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन संसद-कार्य मंत्री कानून मंत्री और प्रधान मंत्री कम से कम थोड़ा आत्म-सम्मान तो दिखायें।

Shri Govinda Menon: The motion moved by Mr. Vajpayee is utterly out of order. There are two specific rules.

Mr. Speaker: He has not moved any motion. He is asking for permission.

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला हूं जो आप को या सदन को बुरा लगे। बात ऐसी हुई कि 30 मई 1967 को मैं ने एक कालिंग एटेन्शन नोटिस दिया जो श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कही गई कुछ बातों पर आधारित था। मैं ने क्या आरोप लगाया था? मैं ने यह पूछा था :

"May I know whether it is a fact that a cabinet minister and a minister of State who were on the Birla list of honorarium are still getting honorarium and the Cabinet Minister was chairman or vice chairman of the Birla Trust and the Minister of State was not a Minister of State, I believe, in 1966? I would like to know whether they are getting it still. Is it also a fact that a worthy son of a worthy Cabinet Minister got 1,80,000 commission from Birlas in 1966? I would also like to know whether the hon. Prime Minister knows this fact and whether this fact about the Cabinet Minister was brought to the notice of Mr. Kamaraj who shamelessly said that he knows it."

मैं ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब यह देखा गया कि प्रधान मंत्री जी उस बात के बारे में कोई स्पष्टीकरण नही कर रही हैं, तो मेरे कुछ सदस्यों ने, जो देश की बेहतरी चाहते थे, मुझे नाम बताने के लिए कहा। ऐसा मालूम होता है कि सारी कैबिनेट एक काजल की कोठरी है। तब मैं ने दो मंत्रियों का नाम लिया जिन में मेरे अज़ीज दोस्त, श्री सत्य नारायण सिन्हा और मेरे नौजवान साथी श्री के० सी० पन्त थे। इन मंत्रियों ने जवाब देते हुए मेरी बात का खंडन नहीं किया बल्कि उस को मान लिया। उसी दिन श्री सत्य नारायण सिन्हा ने कहा :

"Sir, I was not present in the House this morning when the calling attention notice was being

answered. One hon. Member, Shri S. M. Banerjee, said that I was the Chairman or Vice-Chairman of some trust of Birlas and was getting some honorarium from them. This is not correct. I am only a trustee of two of the Birla Education Trusts,...."

Mr. Speaker: Why do you want to read them? Everybody has heard.

श्री स० मो० बनर्जी : उस के बाद श्री के० सी० पन्त ने कहा कि उन्हों ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन उनको तनख्वाह मिलती थी—जहां तक मुझे मालूम हुआ है वह चार या पांच हजार रुपये तनख्वाह पाते थे ।

Mr. Speaker: Your point is you have committed a breach of privilege.

Shri Randhir Singh (Rohtak): He says, "I should be punished for the guilt I have committed."

श्री मधु लिमये : वह यह नहीं कह रहे हैं । वह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाये । वे इस का स्वागत करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा कहना यह है कि मैं ने जो कुछ कहा था, वह उन्होंने तस्लीम कर लिया उस का एडमिशन कर लिया । लेकिन मुझे अफसोस है कि उस दिन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब कुर्सी पर थे और मैं यहां पर नहीं था मैं बीमार था बाहर था । उन्हों ने कुछ आवेश में आ कर और अपनी रूलिंग देने की भावना में आ कर यह कह दिया :

"*Mr. Deputy-Speakers* And I thought his allegations were baseless allegations on certain reports appearing in the press. Now, as you have raised the issue and as the Prime Minister has made a clear statement, I would say here and now—it is not a question of privilege—either Mr. Banerjee will have to produce evidence to substantiate those allegations, show that evidence to the Chair or the Committee of Privileges, and in that case, if there is a *prima facie* evidence with him, we will deal with it and if he has not, he will have to apologise to the House."

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ जस्ट और इम्पार्शियल रहना चाहिए । आप कस्टोडियन हैं पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के । आप इन लोगों के कस्टोडियन नहीं हैं । वे लोग गैर-कानूनी काम करें, बिड़ला और डालमिया से पैसा लें और देश को बदनाम करें, इसकी जिम्मेदारी आप की नहीं है ।

Shri Randhir Singh: He is pleading guilty.

Shri S. M. Banerjee: Let them not be serious; let them take money.

उपाध्यक्ष महोदय ने एपोलोजाइज करने की बात कही है । यह गलत है । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रिविलेज मोशन दिया गया है मैं उस का स्वागत करता हूं । मैं चाहता हूं कि अगर मैं ने कोई कसूर किया है अगर मैं ने दो माननीय मंत्रियों को बदनाम करने की कोशिश की है, जो देश के कर्णधार में से हैं, तो मुझे दंडित किया जाये । लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर यह मामला प्रिविलेजिज कमेटी के पास जाए, तो मेरे पास जो कुछ और चार्जिज हैं, जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के खिलाफ हैं, कुछ दूसरे मिनिस्टरों के खिलाफ हैं, ...

Mr. Speaker: You have not given notice to the Speaker in advance that you are going to make allegations. If you say further about it, all that would be taken out.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आप से निवेदन करूंगा कि मैं ने जो कुछ कहा है, वह माननीय मंत्रियों ने एडमिट किया है । अब यह मामला प्रिविलेजिज कमेटी के पास जायेगा तो हम गवाही लाने की कोशिश करेंगे । जो मेलाप करवे वाला बीस रुपये लेता है, उस को भी लायेंगे ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

कपड़े बनाने वाले टेलर को भी लायेंगे । खादी उद्योग भवन से जो कपड़े खरीदे जाते हैं जिनकी पेमेंट बिड़ला साहब करते हैं, उस का सुबूत भी लायेंगे । इस से इस बात का मौका मिलेगा कि इस देश के राजनीतिक जीवन को पवित्र किया जाये और जिस किसी ने गलत काम किया है, चाहे वह बनर्जी हो और चाहे सत्य नारायण सिन्हा हो उस के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

Shri Govinda Menon: I submit that this is a matter which should not be permitted to be raised now. I would like to draw your attention to two rules. One is the rule against repetition. It is one of the well-known rules. You see a reference to it in May's *Parliamentary Practice*. Following it we have made a rule here—rule 338—which says:

> "A motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session."

श्री मधु लिमये : क्या बैनर्जी के खिलाफ प्रस्ताव आया था ?

Shri Govinda Menon: I will come to that. Why is he impatient? He got opportunities to say all kinds of irrelevant things. Let him wait and see what I have to say about relevant matters. I have read rule 338. There was a decision on Wednesday on this matter. A privilege motion is not like a litigation in court—A versus B; it is not like that. If you refer to rule 222 and subsequent rules, you will see that what is discussed is a question. Rule 222 says:

> "A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a committee thereof."

The only party is a member of whose privilege there has been a breach or of the House or of a committee thereof. The question does not arise as to who is the accused. Mr. Madhu Limaye spoke of some mystery. The mystery in this case is, here is a member, Mr. Banerjee, who rushes forward to say, "I have *prima facie* committeed a breach of privilege. Please send me to the privileges committee."

Shri S. M. Banerjee: I did not say that.

Shri Govinda Menon: This is something unheard of.

The question which was discussed and decided upon on Wednesday was the allegation made by Mr. Arora. The question is one and it is exactly the same thing which is being raised now. It may be that Mr. Banerjee called the attention of the House to that matter.

If you go through the long discussion which took place on 30th May when that question was being raised—I have got the record before me—every member, including Mr. Vajpayee, who is the author of this motion, Mr. Limaye and Mr. Banerjee himself agreed that the occasion was one which called for this that Mr. Arora's case should be sent to the privileges committee. What Mr. Banerjee said on that occasion was interpreted by this House on 30th May to be a matter which is fit enough to go to the privileges committee. On Wednesday this House voted down that privilege motion. On that morning or earlier on the previous day, the Prime Minister made a statement. Then Mr. Vajpayee thought, let us catch hold of Mr. Banerjee. The peg was originally Mr. Arora. They wanted to hang that dirty thing on that peg. Mr. Banerjee now comes and says, hang it on my head. That is what is happening. This is against rule 338.

श्री मधु लिमये : हट तो आपकी है ।

Shri Govinda Menon: Then, there is the rule regarding belated motions—224(2):

"The question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence".

Why was not this motion brought on 30th or 31st May?

श्री मधु लिमये : क्योंकि उस वक्त प्रधान मंत्री का बयान नहीं हुआ था ।

Shri Govinda Menon: Mr. Banerjee made this statement on 30th. Mr. Vajpayee and Mr. Limaye waited to see what would happen to the motion against Mr. Arora. When they found that that motion was rejected, they thought of this. The object is clear. This is a collusive motion between Mr. Vajpayee, Mr. Limaye and Mr. Banerjee. Secondly, this is an absue of the process laid down in the rules regarding privilege motions. On that occasion, Mr. Limaye's speech was clear. This is something you should never allow. He speaks on this motion and then the necklace comes. I am glad the Russian lady—Svetlana—did not come.

Mr. Speaker: Let him bring it. Why should the minister bring it in?

Shri Govinda Menon: They want to repeat these things *ad nauseam*. That is why I say this is an abuse of the process laid down in the rules, which should not be allowed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मौका दीजिए। कानून मंत्री ने, मुझे बड़ा खेद है, मेरी इस बात का विरोध करते हुए कि मैं ने जो मामला उठाया है उसको विशेषाधिकार समिति में भेजा जाय, मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की है। सभापति जी, उनका यह कहना कि मैंने श्री एस० एम० बैनर्जी और श्री मधु लिमये ने कोई अभिसंधि की है, मिलकर, षड्यंत्र किया है, यह आरोप बिलकुल गलत है, यह आरोप आधाररहित है। सभापति जी, अब आपने यह निर्णय दिया कि अगर कोई सदस्य गलत आरोप लगायेगा तो उस सदस्य को विशेषाधिकार भंग का दोषी माना जायगा। मैं आप के निर्णय के अनुसार काम कर रहा हूं। आप यह निर्णय दे सकते हैं कि इस में विशेषाधिकार भंग नहीं होता। लेकिन मैं आप से निवेदन करूंगा कि निर्णय देने के पहले आप कानून मंत्री ने जो तर्क दिये हैं उन पर थोड़ा सा विचार कर लें।

जो पहला प्रस्ताव था वह श्री अर्जुन अरोड़ा के खिलाफ था और जब उस पर बहस हो रही थी तब आपने कहा था कि श्री एस० एम० बनर्जी के विरुद्ध जो प्रस्ताव है वह एक अलग सतह पर होगा क्योंकि श्री एस० एम० बनर्जी इस सदन के सदस्य हैं। सदन ने बहुमत से, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि श्री अर्जुन अरोड़ा के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव आप ने रद्द नहीं किया, इस सदन के बहुमत के बल पर वह प्रस्ताव रद्द हुआ है, तो क्या विशेषाधिकार के प्रश्न संख्या के आधार पर तय होंगे? अगर आप उसे रद्द कर देते तो आपके निर्णय से सहमत न होते हुए भी मैं उसे मान लेता। लेकिन कानून मंत्री का यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि क्योंकि वह प्रस्ताव रद्द हो चुका है इसलिए श्री एस० एम० बनर्जी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव नहीं आ सकता। श्री एस० एम० बनर्जी इस सदन के सदस्य हैं। इस सदन के दो अन्य सदस्यों पर उन्होंने आरोप लगाया है। उनके यह कहने का भी अर्थ समझ में नहीं आया कि 30 मई को यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? 30 मई को श्री बैनर्जी ने आरोप लगाया और प्रधान मंत्री ने कहा कि वह जांच कर रही हैं। आप ने उनको पांच दिन का समय दिया और जांच के बाद प्रधान मंत्री इस निर्णय पर पहुंची कि इस आरोप में कोई दम नहीं है। तब हमें यह विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लाना पड़ा क्योंकि श्री बैनर्जी के आरोप साबित नहीं

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हुए प्रधान मंत्री की दृष्टि में तो फिर वह विशेषाधिकार भंग के दोषी हैं और यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आया कि अगर प्रधान मंत्री ने सचमुच में कोई जांच की है और उस जांच के निर्णय से कांग्रेस के सदस्य सहमत हैं तो उन्हें इस बात में संकोच क्यों है कि सारा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय। विशेषाधिकार समिति में कांग्रेस का बहुमत है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजने का विरोध नहीं होना चाहिए। हां, अगर दिल में कोई चोर है और कलई खुलने का डर है तो बात फिर दूसरी है।

Shri Govinda Menon: We do not want something which happened in the Congress Party meeting to become the subject matter of discussion here.

Shri Ranga (Srikakulam): Mr. Speaker, Sir, it is not my intention to go into the merits of this question at all. But there are two things which I would like to say. I very much regret that the Law Minister—he may be anybody, but the Law Minister has a particular status of his own within the Cabinet apart from other ministers—should have used the word 'collusive" or 'collusion'. I trust that he would see reasons to say that he withdraws that word. Otherwise, Sir, he would be setting up a very bad example to others and justifying also many other things, worse things, being said, being done or sought to be done in this House.

Secondly,—it was quoted just now—the Deputy-Speaker in his wisdom—it has gone on record—said that Shri Banerjee should either apologise to the House or withdraw what he had said. If hri Banerjee is not willing to withdraw what he has said and he is not prepared to apologise to this House, what is the redress that this House has against Shri Banerjee or any such other Member who commits similar outrageous acts or who indulges in similar slanderous remarks, and statements and accusations against the other members of this House. I know that the Congress Party has chosen in its own wisdom to excuse Shri Arjun Arora for whatever faults he had committed, and he seems to have committed very serious faults. Are we to understand that we should degrade ourselves to the same position, excuse Shri S. M. Banerjee and then set a very bad example to all other members? That is all I have to say.

18 hrs.

Shri Govinda Menon: When Shri Vajpayee brings a resolution or seeks your permission or leave to move the motion, Shri Banerjee gets up and says "all right, I agree".

Shri S. M. Banerjee: I said I welcome it.

Shri Govinda Menon: It comes to this. We have come across this kind of things.

श्री मधु लिमये : क्योंकि उनको मौका मिलता है आपकी बातों को खोलने का।

Shri Govinda Menon: I referred to it as collusion. If it is offensive, I can withdraw it. But that is all what I meant.

श्री मधु लिमये : इन्होंने वापस नहीं लिया।

Shri S. A. Dange (Bombay Central South): I just want to say only one thing. The Prime Minister's statement concerned allegations made by Shri Arjun Arora outside the House. But Shri S. M. Banerjee made allegations in this House and on that there

is no statement of the Prime Minister. Therefore, there being no finding by the Prime Minister, the statement made by Shri S. M. Banerjee should go to the Privileges Committee as a fresh issue, and not as an issue that was already disposed of by the Prime Minister.

Mr. Speaker: On that day when the discussion was going on, during the course of it, he made some remarks.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, now that there is opposition to the motion, your duty is very simple—put it to the vote.

Mr. Speaker: I must give my view. Of course, ultimately, I am in the hands of the House.

श्री मधु लिमये : ग्राप सदन पर छोड़ दीजिए, ग्राप क्यों ग्रपने ऊपर ले रहे हैं, जैसे उस दिन नहीं लिया था वैसे ही इस वक्त भी कीजिये। हालांकि उस समय लेना चाहिये था, लेकिन फिर भी ग्रपने ग्रपने ऊपर नहीं लिया, जब कि 1954 की कमेटी की राय बिलकुल साफ थी—

> "The presiding authority shall refer the matter to the Chairman of the other House."

तब भी ग्रापने नहीं किया। ग्रब इस को सदन पर छोड़ दीजिए।

Mr. Speaker: It is not a question of putting it before the House. I will give my decision on Monday. I do not want to offend any side but take a correct view. Now, we will take up the Half-an-Hour Discussion.

18.03 hrs.

REPATRIATION OF DR. DHARMA TEJA*

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ से संकट की हालत में हूं, जो ग्रक्सर हो जाया करती है, क्योंकि ग्रगर मैं स्वतंत्र पार्टी का सदस्य होता, तब मेरा रास्ता साफ़ था ग्रौर मेरे हाथ में कुछ कागज हैं, जिन से मैं तेजा साहब की तरफ़दारी कर सकता था। उनसे मुझे पांच-चार पत्र मिल चुके हैं—जयन्ती तेजा से। ग्रगर मैं भारतीय कम्युनिस्ट होता, तो भी मेरा रास्ता साफ़ था, क्योंकि वे कागज हैं भारत सरकार की कार्यवाहियों के, जिनसे मैं बिलकुल साफ़ तरीके पर तेजा साहब पर चढ़ बैठता। मेरा रास्ता तो सच्चाई का है, इसलिये छुरी की धार की तरह है ग्रौर मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले को जितने भी सच्चे ढंग से रख सकूं, रखूं।

जो जयन्ती तेजा साहब हैं, उनके खत मिले हैं, उनमें से एक उनकी बीबी श्रीमती रंजीत तेजा का है। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि एक जमाना था, जब इस देश का हर दरवाजा—मैं गलती कर गया—हर ग्रमीर दरवाजा उनके लिये खुला रहता था, हर मर्द ग्रौर ग्रौरत बड़े चाव के साथ उनका स्वागत करता था, वह रंजीत तेजा ने मुझको खत में लिखा है—यह लिखा है जून 14, 1967 को। खत तो काफ़ी भेज चुके हैं, मैं समझता हूं शायद उन तक यह बात पहुंच चुकी है कि कम से कम इस मुल्क में एक ग्रादमी है जो कभी एक चीज जो इस्तेमाल ग्रपने स्वार्थ के लिये नही करेगा। उन्होंने लिखा है कि—उनके पति ने पहले मुझ को खबर दी थी, लेकिन मैंने उन को यह जवाब दिया था कि जब तक मुझ को बात नहीं बताग्रोगे गवाही की, तब तक नहीं मानूंगा, पता नहीं क्या लिखते हो, क्या नहीं लिखते हो।

> "Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me in London".

---

*Half-an-hour Discussion.